प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

विविध याचिका क्षतिपूर्ति सं 562 /2015

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अपने मंडल प्रबंधक के द्वारा,मंडल कार्यालय, प्रथम तल, रामा ट्रेड सेंटर, नेरार बस स्टैंड,बिलासपुर सिविल एवं राजस्व जिला: बिलासपुर पिन 495001, छत्तीसगढ़

---अपीलकर्ता

बनाम

1. कुमुद पैकरा पति स्व.यशवंत पैकरा उम्र लगभग 23 वर्ष निवासी ग्राम बनगांव, थाना और तहसील फरसाबहार, जिला: जशपुर छत्तीसगढ़
2. किशन (नाबालिग) पिता स्व.यशवंत पैकरा उम्र लगभग 3 वर्ष माता श्रीमती कुमुद पैकरा पति स्व.यशवंत पैकरा के द्वारा, निवासी ग्राम बनगांव, थाना। और तहसील फरसाबहार, छत्तीसगढ़, जिला: जशपुर, छत्तीसगढ़
3. कुंती पत्नी रूपधर उम्र लगभग 63 वर्ष निवासी ग्राम बनगांव, थाना। और तहसील फरसाबहार, जिला: जशपुर, छत्तीसगढ़
4. संजय झा (चालक) (मृत्यु) माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 22-02-2022 के अनुसार एलआरएस के द्वारा, , जिला: रायगढ़, छत्तीसगढ़

4.(i) श्रीमती. रूना झा पति स्वर्गीय श्री संजय झा, उम्र लगभग 40 वर्ष निवासी - ग्राम मदनपुर, खरसिया, थाना। खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

4.(ii)-श्रीमती. सुषमा मिश्रा पिता स्वर्गीय संजय झा, पति प्रभात शंकर मिश्रा उम्र लगभग 30 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 12, त्रिलोकीनाथ मंदिर के पास, राजकुमारगंज, दरभंगा, जिला दरभंगा, बिहार, पिन-846004

4.(iii) - आकाश पिता स्वर्गीय संजय झा, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम मदनपुर, खरसिया, थाना। खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

4.(iv) सूरज पिता स्वर्गीय संजय झा, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी ग्राम मदनपुर, खरसिया, थाना। खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

4.(v) श्रीमती. इंद्रकला देवी, पति - स्वर्गीय श्री फूल झा, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी ग्राम मदनपुर, खरसिया, थाना। खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

5. राजेश कुमार गोयनका पिता विश्वनाथ गोयनका उम्र लगभग 41 वर्ष: रायगढ़, निवासी ग्राम जानकी धर्मशाला, खरसिया, जिला छत्तीसगढ़ (मालिक)

---उत्तरवादीगण

अपीलकर्ता की ओर से :श्री बेनून, श्री आर.एन. पुस्ती की ओर से अधिवक्ता
उत्तरवादी संख्या 1 से 3 और **4(i)** से **4(v)** के लिए: कोई नहीं, यद्यपि तामील हो चुका है।
उत्तरवादी संख्या 5 के लिए: श्री आदिल मिन्हाज, अधिवक्ता

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति राधाकिशन अग्रवाल

पीठ पर निर्णय

04.08.2025

1. यह अपील अपीलकर्ता/बीमा कंपनी द्वारा अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कुनकुरी, जिला: जशपुर (छ.ग.) द्वारा मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण क्रमांक 7/2012 में पारित दिनांक 14.10.2014 के निर्णय के विरुद्ध है, जिसमें कुल 4,62,142.85 रुपये (चार लाख बासठ हजार एक सौ बयालीस और अस्सी पैसे मात्र) कि क्षतिपूर्ति दि गयी है, जबकि अनावेदकगण, जो चालक, मालिक और बीमा कंपनी (अपीलकर्ता, उत्तरवादी क्रमांक 4 और 5 क्रमशः) हैं, पर संयुक्त रूप से और पृथक रूप से दायित्व निर्धारित किया गया है

2. दावा याचिका में किए गए कथनों के अनुसार, 28.01.2012 को शाम 4:00 बजे मृतक यशवंत पैकरा अपनी हीरो होंडा मोटरसाइकिल, रजिस्ट्रेशन क्रमांक CG 14 M 5431, चलाते हुए ग्राम बागबहार से अपने घर आ रहे थे। उस समय, उत्तरवादी क्रमांक 4, जो ट्रक टैंकर, रजिस्ट्रेशन क्रमांक CG 13 ZC 1121 (जिसे आगे 'दुर्घटनाग्रस्त वाहन' कहा जाएगा) चला रहा था, ने लापरवाही और तेजी से मृतक को टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप मृतक को गंभीर चोटें आईं और उसकी मृत्यु हो गई। उस समय, 'दुर्घटनाग्रस्त वाहन उत्तरवादी क्रमांक 5 के स्वामित्व में था और अपीलकर्ता/बीमा कंपनी द्वारा बीमित था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत दावेदारों द्वारा विभिन्न मदों में 29,30,000/- रुपये के क्षतिपूर्ति का दावा करते हुए दावा याचिका दायर किए जाने पर, विद्वान न्यायाधिकरण ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करते हुए, इस निर्णय के कंडिका 1 में उल्लिखित राशि प्रदान की गयी है।

4. अपीलकर्ता-बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन, एक ट्रक-टैंकर, खतरनाक पदार्थों के परिवहन के लिए बनाया गया था और दुर्घटना के समय, चालक, एनए-3 संजय झा के पास भारी माल वाहन (एचजीवी) चलाने के लिए अधिकृत ड्राइविंग लाइसेंस था, लेकिन वह संबंधित 'दुर्घटनाग्रस्त वाहन जैसे खतरनाक पदार्थों को ले जाने वाले ऐसे वाहनों को चलाने के लिए अधिकृत नहीं था, क्योंकि उसके लाइसेंस पर ऐसे वाहनों को चलाने की अनुमति देने वाला कोई समर्थन नहीं था, इसलिए, चालक के पास खतरनाक पदार्थों को ले जाने वाले 'दुर्घटनाग्रस्त वाहन को चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, जो पॉलिसी शर्तों का उल्लंघन है, इसलिए, बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

5. दूसरी ओर, उत्तरवादी संख्या 5, जो कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन का मालिक है, के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दुर्घटना के समय दुर्घटनाग्रस्त वाहन अपीलकर्ता–बीमा कंपनी के पास बीमित था। बीमा कंपनी ने दावा न्यायाधिकरण के समक्ष दायर अपने लिखित बयान में न तो यह तर्क दिया है कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन खतरनाक पदार्थों का परिवहन कर रहा था और न ही इसे साबित करने के लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है। ऐसा तर्क दावा न्यायाधिकरण के समक्ष नहीं लिया गया था और इस अपील में पहली बार उठाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, बीमा कंपनी यह साबित करने में पूरी तरह विफल रही है कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन का उपयोग खतरनाक/संकटमय पदार्थों/माल के परिवहन के लिए किया गया था और पॉलिसी की शर्तों के किसी भी उल्लंघन को स्थापित करना बीमा कंपनी का बाध्यकारी कर्तव्य है, जिसे वह वर्तमान मामले में स्पष्ट रूप से करने में विफल रही है।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. जहां तक विद्वान दावा अधिकरण द्वारा तैयार किए गए विवाद्यक क्रमांक 1 का संबंध है, इसका उत्तर सकारात्मक रूप से यह मानते हुए दिया गया कि मृतक यशवंत पैकरा की मृत्यु चालक/उत्तरवादी क्रमांक 4 अर्थात संजय झा (अब मृत) द्वारा की गई वाहन दुर्घटना के कारण हुई, जिसे तेजी और लापरवाही से चलाया जा रहा था।

8. यह निर्विवाद है कि दुर्घटना के समय अपीलकर्ता–बीमा कंपनी ही दोषी वाहन की बीमाकर्ता थी। विद्वान दावा न्यायाधिकरण ने यह कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन उत्तरवादी संख्या 5 राजेश कुमार गोयनका के नाम पर पंजीकृत था और उत्तरवादी संख्या 4 संजय झा (अब दिवंगत) के पास दोषी वाहन चलाने के लिए वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस था।

9. यह ध्यान देने योग्य है कि अपीलकर्ता–बीमा कंपनी ने यह साबित करने के लिए किसी साक्षी से परीक्षा नहीं की कि चालक के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। यहाँ तक कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन के चालक से भी साक्षी के रूप में परीक्षा नहीं की गई और न ही बीमा कंपनी की ओर से किसी अन्य साक्षी से परीक्षा की गई। पुलिस द्वारा दुर्घटनाग्रस्त वाहन के चालक, अर्थात् संजय झा, के विरुद्ध प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट (प्रत्यावेदन पी/1) भारतीय दंड संहिता की धारा 304–ए के अंतर्गत थी। अभिलेख में ऐसी कोई सामग्री या साक्ष्य नहीं है जिससे पता चले कि चालक पर मोटर वाहन अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत वाद चलाया गया था या उसके पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।

10. यद्यपि पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि दुर्घटना में शामिल वाहन एक टैंकर था, परन्तु अभिलेखों में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाए कि उक्त टैंकर का उपयोग खतरनाक/संकटमोचक पदार्थों/माल के परिवहन के लिए किया गया था। अपीलकर्ता–बीमा कंपनी द्वारा यह भी साबित नहीं किया गया है कि दुर्घटना के समय वाहन में कोई खतरनाक/संकटमोचक पदार्थ/माल ले जाया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, बीमा कंपनी ने दावा न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत अपने लिखित बयान में यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा है कि दुर्घटना में शामिल वाहन खतरनाक/संकटमोचक पदार्थों/माल के परिवहन के लिए डिज़ाइन किया गया था या चालक के पास ऐसे वाहन को चलाने के लिए आवश्यक लाइसेंस नहीं था। अतः, साक्ष्यों के समुचित मूल्यांकन और सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करने के बाद, विद्वान दावा न्यायाधिकरण ने यह सही माना कि अपीलकर्ता–बीमा कंपनी यह साबित करने में विफल रही है कि बीमा पॉलिसी की शर्तों का कोई उल्लंघन हुआ था।

11. उपर्युक्त चर्चा के तहत, मुझे न्यायाधिकरण द्वारा आक्षेपित निर्णय पारित करने के दृष्टिकोण में कोई त्रुटि नहीं दिखती है, जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

12. परिणामस्वरूप, अपील गुण–दोष और सारहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है और इसके द्वारा खारिज की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
(राधाकिशन अग्रवाल)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur